

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर

बनाम मुकेश कुमार शर्मा
 किस्म मुकदमा 223 मु. नं० वर्ष 2022

दिनांक	आज्ञा पत्र	
23.8.22	<p>अपील नोट प्रिण्टिंग हो के बिना प्राप्त / के बिना नतीजा नोटिफ करी हो कास्त रकमी अथ वक्त (लगान डा. वन) दिनांक 31.8.22 का पेश हो</p>	<p>No + date 31.8.22 [Signature]</p>
31.8.22	<p>पत्रावली प्रस्तुत अभिभाषक संघ ने आज न्यायिक कार्य स्थगित रखा। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 15.9.22 को पेश हो।</p>	
15.9.22	<p>पत्रावली प्रस्तुत/वकील अपीलंट/रेसपो. उपस्थित पीठासीन अधिकारी महोदय आज..... 15.9.22..... पर हैं। अतः पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 4.10.22 को पेश हो।</p>	
4.10.22	<p>पत्रावली प्रस्तुत/वकील अपीलंट/रेसपो. उपस्थित पीठासीन अधिकारी महोदय आज..... 4.10.22..... पर हैं। अतः पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 21.11.22 को पेश हो।</p>	
21.11.22	<p>पत्रावली पेश। वकील अपीलंट ने उपस्थित होकर जाहिर किया कि वे अपील का खर्च नहीं चाहते हैं अतः अपील नोट प्रेस में खारिज हो जाये। हमने वकील अपीलंट से आवेदिका पर हस्ताक्षर करवाये कि वे अपील नोट प्रेस में खारिज करने में सहमत हैं। फलस्वरूप अपील अपीलंट नोट प्रेस में खारिज की जाती है निर्णय अतः अन्ततः सुनाया गया। प्रत्येक फैसला शुमार होकर न्याय से आगे होकर कार्य बरतीव तक पील दाखिल बफातर हो।</p>	<p>अपील प्रस्तुत [Signature] 21/11/22 [Signature]</p>